न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार आर.ए.एस.

अपील संख्या 29/2012

1. बीरबलराम | पिसरान रामप्रताप जाति बिश्नोई निवासी पदमपुरा तह0 सूरतगढ
2. सरबनराम | जिला श्रीगंगानगर। --- अपीलार्थीगण

बनाम

1. मोहनसिंह
2. सोहनसिंह | पिसरान सरजीतकौर पत्नी करनैलसिंह जाति जटसिख निवासी
3. रामस्वरूपसिंह | अमरपुरा तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
4. रामसिंह
5. श्योपतराम पुत्र दुलाराम जाति जाट निवासी अमरपुरा तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
6. तहसीलदार राजस्व सूरतगढ। ---रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 रा.का.अ. 1955
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ दिनांक 29.11.2007

उपस्थितः-

श्री सुभाष बिश्नोई अभिभाषक अपीलार्थी

श्री भगवानदत्त शर्मा एवं अशोक छाबडा अभिभाषक रेस्पों.

श्री श्याम सुन्दर चांडक राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 11.12.2017

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादीगण/रेस्पों. सं. 1 से 4 ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ के समक्ष राज.काश्त.अधि. की धारा 88, 188, 209 व 107,110, 111 , 136 एल.आर.एक्ट का पेश कर वाद पत्र के अनुतोष की मद सं. क में वर्णित भूमि का गैरखातेदार घोषित किया जावे एवं मद सं. ख में दर्ज भूमि के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करने एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया। प्रतिवादी सं.

11/12/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

1 इकबाली जबाब दावा पेश किया। प्रतिवादी सं. 3, 4 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए वादीगण का वाद स्वीकार कर दिया जिसके विरूद्ध यह अपील पेश की।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुने एकतरफा तौर पर पारित किया गया है। अपीलाधीन आदेश के द्वारा चक 9 एस.एल.डी. के प.नं. 71/394 के कि.नं. 21 की भूमि अपीलांट के नाम से कलमजन कर रेस्पों. सं. 1 से 4 के नाम दर्ज करने के आदेश दिये हैं जो विधि विरूद्ध है। इस प्रकार अपीलांट का 1 बीघा रकबा कम कर दिया। जिसके बदले अपीलांट को कोई भूमि नहीं दी। अपीलाधीन आदेश कानूनी प्रावधानों के विरूद्ध पारित किया है। अपीधीन आदेश की जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी जिसके लिये मियाद अधि. की धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि अपील मियाद बाहर है। दावा पेश करने से पूर्व 80(2) सीपीसी का नोटिस नहीं देने की छूट हेतु अधी. न्यायालय ने प्रा.पत्र पेश किया था। अपीलाधीन आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलांट द्वारा यह अपील आदेश दिनांक 29.11.2007 के विरूद्ध दिनांक 02.02.12 को पेश की है जिसके लिये मियाद अधि. की धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश कर जो तथ्य अंकित किये हैं उनका खण्डन रेस्पों. ने प्रत्युत्तर मय शपथ पत्र पेश नहीं करने से अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपील अधी.न्यायालय उपखंड अधिकारी सूरतगढ के निर्णय दिनांक 29.11.2007 के विरूद्ध पेश की गई है जिसमें दावा स्वीकार होकर रेस्पो. के पक्ष में खातेदारी घोषणा की गई है वह भू-प्रबन्ध विभाग के सर्वे के विरूद्ध की गई है जो

11/12/17

अधी. न्यायालय के क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं होने से निर्णय अपास्त करने का अनुतोष चाहा है।

अधी.न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया जिसमें अधी.न्यापयालय द्वारा आराजी राज को रेस्पो. के नाम तथा रेस्पो. के नाम की आराजी को रकबा राज किये जाने की घोषणा की है। अधी. न्यायालय के निर्णय का कियात्मक भाग है कि पर्चा खतौनियों व जमाबंन्दियों में चक 11 एस.एल.डी. के प.न. 73/395 के कि.न. 5-6/0.506 है0, 7/0.176 है0 व प.न. 72/395 के कि.नं. 1/0.253 है0 , 2/0.101है0 अ.क., 10/0.253है0 रकबा आराजी राज से कलमजन किया जाकर वादीगण की माता सरजीत कौर बेवा करनैल सिंह के नाम दर्ज किया जावे व प्रतिवादी नं. 3 व 4 के नाम से चक 9 एस.एल.डी. के प.नं. 71/394 के कि.नं. 21 का 0.253है0 रकबा कलमजन किया जाकर व चक 6 एस.एल.डी. के प. नं. 49/33 का कि.नं. 2, 3, 8/0.759है0 व चक8 एस.एल.डी. के प.नं. 49/33 के कि.नं. 5, 6/0.506है0 व प.नं. 49/41 के कि.नं. 11, 19, 22/0.759है0 रकबा प्रतिवादी नं. 1 के नाम से कलमजन किया जाकर वादीगण की माता सरजीतकौर के नाम से दर्ज किया जाकर जमाबन्दी व पर्चा खतौनी में अमलदरामद किया जावे व वादीगण की माता के नाम से पूर्व दर्ज चक 11 एस.एल.डी. के प.नं. 73/394 के कि.नं. 12 से 15, 17 से 19, 21 का 2.024है0 रकबा कलमजन किया जाकर प्रतिवादी नं. 1 के नाम दर्ज किया जावे व प.नं. 73/394 के कि.नं. 22 ता 24/0.759है0 व प.नं. 73/395 के कि.नं. 1 ता 3/0.759 है0 का रकबा कलमजन किया जाकर आराजी राज दर्ज किया जावे।

यह आदेश राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 48 के अन्तर्गत खातेदारी भूमि का सरकारी भूमि से विनिमय होना दृष्टिगत है जिसके लिये सक्षम प्राधिकारी न तो तहसीलदार है न ही उपखंड अधिकारी अपितु सिर्फ राज्य सरकार ही स्वीकृति प्रदान करने में सक्षम है इस सम्बन्ध में series of decisions में आर. आर.डी. 1968 पेज 7 गोपालराम बनाम बनेसिंह , आर.आर.डी. 1980 पेज 243 पीरावी बनाम नाथी, आर.आर.डी. 1979 पेज 509 प्रीतम सिंह बनाम शिवकुमार में सभी निर्णयों का सार है कि " A Tehsildar or Sub-Divisional Officer is not a land holder in case of Government land. State Government

11/12/17

alone can sanction exchange of Government" उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अधी. न्यायालय का निर्णय beyond jurisdiction ही नहीं अपितु Extr-constitutional भी है जो निरस्त योग्य है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.11.2007 निरस्त किया जाता है तथा निर्णय दिनांक 29.11.2007 के दिन से पूर्व की रिकार्ड की स्थिति Restore किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। निर्णय की प्रति तहसीलदार सूरतगढ को भेजकर निर्देश दिये जाते हैं कि निर्णय की पालना/पालना रिपोर्ट एक माह में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 11.12.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11/12/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर

डिकी व सीगे अपील

(ओ.41 रूल 35, जाब्ता दिवानी)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

इजलास श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस., राजस्व अपील प्राधिकारी,

1. बीरबलराम
2. सरबनराम

पिसरान रामप्रताप जाति बिश्नोई निवासी पदमपुरा तह0 सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर। — अपीलार्थीगण

बनाम

1. मोहनसिंह
2. सोहनसिंह
3. रामस्वरूपसिंह
4. रामसिंह

पिसरान सरजीतकौर पत्नी करनैलसिंह जाति जटसिख निवासी अमरपुरा तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

5. श्योपतराम पुत्र दुलाराम जाति जाट निवासी अमरपुरा तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
6. तहसीलदार राजस्व सूरतगढ। —रेस्पॉडेन्ट्स

अपील संख्या 29/2012 व नाराजगी डिकी अदालत उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ निर्णय दिनांक 29.11.2007

दावा बाबत

यह अपील व तारीख 11 माह 12 सन् 2017 रूबरू मुझ हाजरी श्री सुभाष बिश्नोई अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट्स व श्री भगवानदत शर्मा व श्री अशोक छाबडा अभिभाषक रेस्पों. एवं श्री श्याम सुन्दर चांडक राजकीय अधिवक्ता समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.11.2007 निरस्त किया जाता है तथा निर्णय दिनांक 29.11.2007 के दिन से पूर्व की रिकार्ड की स्थिति Restore किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। निर्णय की प्रति तहसीलदार सूरतगढ को भेजकर निर्देश दिये जाते हैं कि निर्णय की पालना कर पालना रिपोर्ट एक माह में पेश करे।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेर तादादी मुबलिग...X....) रूपये...X... अदा करे, खर्चा मुकदमा मातहत का ...X... अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 11.12.2017 को जारी किया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी

श्रीगंगानगर